को पेश हो।

4/8/020

पत्रावली पेश हुई/वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित है। पीठासीन अधिकारी जी राजकार्य से भ्रमण पर है। बार एसोसिएशन ने आज दिनांक को न्यायालय कार्य नहीं करने का स्थगन पत्र पेश किया है।

अत: पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 28/9/020 को पेश हो।

28/9/020

पत्रावली पेश हुई। राजस्व मण्डल अजमेर के अधिसूचना के परिपत्र क्रमांक/ न्याय/ न्या0/ प.76, 2010/9458 2?/9/020 की पालना में दिनांक 7/12/021 को पेश हो।

27/10/20

पत्रावली नियत तिथि को पेश ना होकर आज दिनांक 27/10/2020 को पेश हुई। वकलाय उपस्थित। अप्रार्थी श्री राकेश कुमार के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होना बताते हुए पत्रावली जल्दी तलब कर जल्द सुनवाई हेतु दिनांक 21.10.2020 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रा० पत्र की प्रति प्रार्थी के अधिवक्ता को तामील करा पत्रावली आज दिनांक 27/10/2020 को तलब की गई।

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी का प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट,भीम

प्रकरण : संख्या– शीर्षक.............................बनाम....................................

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
	212 काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में ही दिनांक 26.06.2018 को खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी के सामान्य प्रा० पत्र पर उक्त खारिज प्रकरण पर पुनः विचार कर अप्रार्थी को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा खारिज प्रार्थना पत्र पर यदि प्रार्थी कोई सहत चाहता है तो उसे न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतर न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी ना कि पुनः इसी न्यायालय में प्रार्थना पत्र लगाना चाहिए था।	
	प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान स्वीकार किया कि प्रकरण संख्या 33/17 प्रार्थना पत्र अंतर्गत 212 काश्तकारी अधिनियम माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2018 को लोक अदालत में निर्णित किया ~~का~~ जा चुका है तथा सहमति जताई कि उन्हें इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतर न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी ना कि पुनः इसी न्यायालय	

में प्रार्थना पत्र लगाना चाहिए था।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई और उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। चूंकि इस प्रकरण में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम पूर्व में ही निर्णित किया जा चुका है, अत: प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर इस न्यायालय में पुन: विचार किया जाना अपेक्षित नहीं है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
भीम (श[illegible]न्द)